



प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), JHARKHAND

No.PEN-HI/Jharkhand/DR/2021-22/

Dated:- 15/9/21

UNDER SPECIAL SEAL AUTHORITY NO -- 29/21-22 - 1488

To.

The

✓ 1.	Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hyderabad	500004
2.	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Namariagan	791110
3.	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon Beltola, Guwahati	781029
4.	Accountant General (A&E), Bihar, Birchand Patel Marg, R-Block, Patna	800001
5.	Accountant General (A&E), Chatisgarh, zero Point, Blauda Bazar Road, Raipur	493111
6.	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. of Goa, Directorate of Accounts, Pension Section, Panji, Goa	403101
7.	Accountant General (A&E), Gujrat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8.	Accountant General (A&E), Haryana, Lekha Bhawan, Plot No. 4 & 5, Sector-33-B, Chandigarh	160047
9.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla	171003
10.	Principal Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
11.	Principal Accountant General (A&E), Karnataka, Residency Park Road, Post Box No. 5329/5369 Bangalore	500001
12.	Accountant General (A&E), Kerala, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695001
13.	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh, Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14.	Principal Accountant General (A&E), Maharashtra, 2 nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karve Road, Mumbai	400020
15.	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Nagpur	440001
16.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17.	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shilong	780001
18.	Accountant General (A&E), Mizoram, Shri Buathranga Building, Dintar, Aizawl	796001
19.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima	797001
20.	Accountant General (A&E), Orissa, Bhubaneswar	751001
21.	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigarh, Sector-17E, Chandigarh	160017
22.	Principal Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur	302005
23.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deorai, PO-Tadong, Gangtok	737102
24.	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjaban, Agartala	797006
26.	Accountant General (A&E)-II Uttar Pradesh, Audit Bhawan Vibhuti Khand Gomtinagar Lucknow Uttar Pradesh.	226010
27.	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majra, Dehradun	248171

पो. डोरण्डा, राँची - 834002 (झारखण्ड) P.O. Doranda, Ranchi - 834 002 (Jharkhand)

दूरभाष / Telephone : 0651-2412942, 2412582, Fax : 0651-2411745, 2410816

E-mail : agaejharkhand@cag.gov.in

28.	Principal Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Buildings, No.-2, Govt,Place (West), Kolkata	700001
29.	Director of Accounts and Treasuries, Govt of Pondicherry, Pondicherry	605001
30.	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3 rd Floor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
31.	Pay & Accounts Officer (V), Delhi Administration, TIS Hazar, New Delhi	110124
32.	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akabar Bhavan, Chanakyapuri, New Delhi	110021
33.	Accountant General (A&E), Telangana, Hyderabad	500004

Subject - Enhancement rate of Dearness Relief to the Jharkhand State Government Pensioners/family pensioners w.e.f. 01-07-2021 (Enhanced from 17 % to 28 %) and 6th Pay commission D.R. w.e.f. 01-07-2021 (Enhanced from 164% to 189%).

Sir,

I am to enclose herewith the copy of Government of Jharkhand, Finance Department L. No.12/एम-महंगाई भत्ता/ महंगाई राहत--54/2017..1599 Ranchi/वि० dated- 08-07-2021 on the subject stated above under Special Seal Authority for your information and immediate circulation among all pension disbursing authorities under your Jurisdiction.

2. पत्रांक:वि० प्र० 6 ए-12/2013....1923 दिनांक-26/08/2021 महंगाई राहत (Enhanced from 164% to 189%).

Receipt of the above Special Seal Authority may please be acknowledged.

Yours faithfully

Encl:-As stated above.


Sr. Accounts Officer Pen-III
Jharkhand, Ranchi

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

राँची / दिनांक : 28/07/2021

संकल्प

विषय : दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2021 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।

केन्द्र सरकार के द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अपने पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत पेंशन पुनरीक्षण के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को योजना-सह-वित्त विभागीय संकल्प संख्या 218/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा पेंशन पुनरीक्षण अनुमान्य किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका- 9.1 में केन्द्र सरकार के अनुरूप महंगाई राहत अनुमान्य किया गया है।

2. भारत सरकार के लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पत्र संख्या 42/07/2021-P & PW (D) दिनांक 22.07.2021 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना (सातवाँ वेतनमान) में दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से महंगाई राहत की वर्तमान दर को 17% (सत्रह प्रतिशत) से 28% (अट्ठाईस प्रतिशत) करने का निर्णय लिया गया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को वर्तमान में अनुमान्य महंगाई राहत की दर को सम्यक विचारोपरांत निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :-

“राज्य के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से मूल पेंशन का 28% (अट्ठाईस प्रतिशत) महंगाई राहत स्वीकृत किया जायेगा। इस वृद्धि में दिनांक 01.01.2020, 01.07.2020 एवं 01.01.2021 को देय अतिरिक्त किश्तें सम्मिलित हैं। पूर्व में अवधारित महंगाई राहत की दर, दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि के लिए 17% ही रहेगी।”

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1558/वि० दिनांक 26.07.2021 के क्रम में दिनांक 27.07.2021 की बैठक के मद सं० 12 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी कोषागार/उप-कोषागार एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)

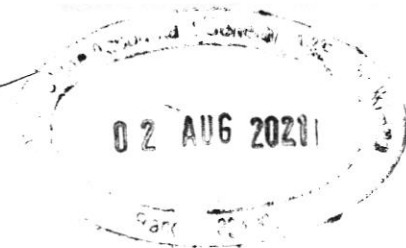
प्रधान सचिव,

वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।

Pen-3

1.1379

की हस्ताक्षर



पत्रांक : वि०प्र० 6ए-12/2013...1923/160

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची / दिनांक 26/08/2021

संकल्प

विषय : राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि०, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की भांति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से अपुनरीक्षित (छठा वेतनमान) केन्द्रीय पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका-17 (ए०)(बी०) के अनुसार पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्रीय दर पर महँगाई राहत स्वीकृत किया गया है।

2. उपर्युक्त के अनुसार केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के भांति दिनांक 01.01.2006 (छठा वेतनमान) से राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी महँगाई राहत अनुमान्य किया जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगी, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को 164% (एक सौ चौंसठ प्रतिशत) महँगाई राहत अनुमान्य है।

3. केन्द्र सरकार के द्वारा अपने कर्मियों को दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से छठे वेतन पुनरीक्षण के लाभ के अनुरूप महँगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया गया है और इसके आलोक में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या 1/3(1)/2008 E.II(B) दिनांक 13.08.2021 के द्वारा छठे अपुनरीक्षित वेतनमान में महँगाई भत्ते की दर को 164% (एक सौ चौंसठ प्रतिशत) से बढ़ाकर 189% (एक सौ नवासी प्रतिशत) स्वीकृत किया गया है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत केन्द्र सरकार के उक्त निर्णय को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को वर्तमान में अनुमान्य महँगाई राहत की दर को निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :-

राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से महँगाई राहत 164% (एक सौ चौंसठ प्रतिशत) से बढ़ाकर 189% (एक सौ नवासी प्रतिशत) किया जाय। इस वृद्धि में दिनांक 01.01.2020, 01.07.2020 एवं 01.01.2021 को देय अतिरिक्त किश्तें सम्मिलित हैं। पूर्व में अवधारित महँगाई राहत की दर, दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि के लिए 164% ही रहेगी।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1853/वि० दिनांक 23.08.2021 के क्रम में दिनांक 24.08.2021 की बैठक के मद सं० 16 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव,

वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक : वि०प्र० 6ए-12/2013-1823/ह०

राँची, दिनांक 26/08/2021

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/महालेखाकार (ले० एवं हक.), झारखंड, राँची/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/ सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ सभी आरक्षी अधीक्षक/ सभी कोषागार/ उप-कोषागार पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, झारखंड, राँची/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महँगाई भत्ते की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की सहमति प्राप्त करने के बाद ही अपने स्तर से आदेश निर्गत किया जाय/सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने तथा पी०एम०यू० कोषांग के सहायक प्रोग्रामर को विभागीय Website पर upload करने हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव,

वित्त विभाग, झारखंड, राँची।